ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 242-244

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

स्वयं सहायता समूह से सशक्त होती ग्रामीण महिलाएं

1. डॉ0 अर्चना श्रीवास्तव
2. डॉ0 राजीव कुमार श्रीवास्तव

1. शिक्षा शास्त्र, 2. असि0 प्रो0– समाजशास्त्र विभाग, श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदिष्टपुरी– रानीगंज, बलिया (उ0प्र0) भारत

Received-14.06.2023, Revised-21.06.2023, Accepted-26.06.2023 E-mail: archanasri2610@gmail.com

सारांशः ***स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 15–20 व्यक्तियों (खासकर महिलाओं) का एक अनौपचारिक समूह होता है। जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है और विकास गतिविधियाँ चलाकर गाँव के विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करता है। स्वयं सहायता समूह में महिलाएँ विशेषकर गरीब महिलाएं अपने बचत पूँजी को एकत्रित करती हैं और उस एकत्रित पूँजी से निर्धन लोगों को कर्ज देती हैं। उनकों उपर वे ब्याज भी लेती हैं। लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए गये ब्याज से कम होता है। इस स्वयं सहायता समूह में महिलाएँ बढ़–चढ़कर भाग लेती हैं। इस स्वयं सहायता समूह में छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। क्योंकि साधारणतः ये महिलाओं द्वारा चलायी जाती हैं। महिलाओं द्वारा बचत की गयी पूँजी को उचित व्याज दर पर जमीन छुड़वाने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन खरीदने के लिए, हथकरघा एवं पशु खरीदने के लिए, बीज, खाद और बाँस खरीदने के लिए ऋण दिये जाते हैं। इन ऋणों पर जो ब्याज आता है इससे स्वयं सहायता समूह की पूँजी का निर्माण हो जाता है। इससे न केवल महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह के नियमित बैठकों के जरिये लोगों को एक आम मंच मिल जाता है। जहाँ वे तरह–तरह के सामाजिक जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं और इन समस्याओं का निदान करने की कोशिश भी करती हैं। स्वयं सहायता समूह के जरिये महिलाएँ छोटे–मोटे स्वरोजगार कर अपनी आमदनी कमाती हैं। जिससे वे आर्थिक रूप में सशक्त हो रही हैं और दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से मदद कर उनके जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करती हैं। अतः महिलाएँ स्वयं सहायता समूह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।***

कुंजीभूत शब्द– स्वयं सहायता समूह, अनौपचारिक समूह, पारिवारिक, गतिविधियाँ, महिला सशक्तिकरण, निर्धन, घरेलू हिंसा।

स्वयं सहायता समूह है आशय– स्वयं सहायता समूह की अवधारणा न केवल भारत देश में अपितु संपूर्ण विश्व में प्रयोग की जा रही है। भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण विकास कार्यक्रम में इसे अनिवार्य माना गया है। विश्व रूप से स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में सहायता समूह को आधारभूत इकाई के रूप मान्यता दी गई है। जिससे महिला स्वयं सहायता समूह के विकास व गठन पर बल दिया जा रहा है मैकमिलन ने 2002 में अपने अध्ययन में स्वयं सहायता समूह 15–20 सदस्यों का समजातीय समूह होता है। जो अपनी सामान्य समस्याओं के लिए एकत्रित होते है और स्वैच्छिक आधार पर नियमित बचत करते हैं और इस बचत से अपने समूह की ऋणी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

इस तरह से समूह के सदस्यों में वित्तीय अनुशासन की जानकारी विकसित होती है। आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें लेखा–जोखा रखना भी सिखाती है। इस प्रक्रिया में उनकी कड़ी मेहनत का पैसा एकत्र होता है। स्वयं सहायता समूह की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यह एक सशक्त संगठनात्मक इकाई है। जहां समान उद्देश्यो वाले व समान समाजिक, आर्थिक स्तर वाले व्यक्तियों का समूह खुद की इच्छा से अपनी कम आय में से छोटी बचत शुरू करते है। प्रायः इनकी संख्या 10–20 होती है सदस्यों द्वारा एकत्र की गई जरूरत के अनुसार कर्ज का लेन–देन न करते है। फिर वो बैंकों से संपर्क स्थापित करते है तथा उनसे कर्ज प्राप्त कर के आय सृजन करने वाली गतिविधियों का संचालन करते हैं ताकि एक समूह के रूप में इनकी आय में बढ़ोतरी हो सके।

स्वयं सहायता समूह के लाभ–

1. गरीबों के बीच बचत आदत विकास करने का माध्यम।
2. वृहत पैमाने पर संसाधन की उपलब्धता।
3. एक स्थान से बेहतर तकनीकी एवं बौद्धिक ज्ञान बधन की सुविधा।
4. अपने क्षेत्र में ही आपातकालीन, उपयोग एवं उत्पादन कार्य हेतु कर्ज की उपलब्धता।
5. विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन सहायता का उपलब्ध होना।
6. स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होना।
7. महिला और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण।

स्वयं सहायता समूह की विशेषता–

1. 15 से 20 व्यक्तिओं का समूह जो खुद की इच्छाओं के आधार पर संगठित होता है।
2. समूह सदस्यता की वजह अपनी कठिन समस्या का समाधान है।
3. समूह के द्वारा बचत करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी करना ही सिर्फ उद्देश्य नहीं हैं बल्कि स्वरोजगार व कर्ज लेना भी स्वयं सहायता समूह की विशेषता है।
4. संसाधनों का उपयोग कर खुद का विकास करना।
5. निर्धन महिलाओं का आर्थिक विकास करना।
6. नई गतिविधियों को मजबूती मिलता है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

7. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है।

अध्ययन समस्या– भारतीय अर्थव्यवस्था में दहाई की गति प्राप्त करना तथा निरंतरता बनाए रखना बहुत ही महत्त्वाकांक्षी प्रतीत होता है। आज के बदलते भारत में आवश्यकता है कि विभिन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों, जैसे सभी राज्यों में संतुलित समान आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव, आगामी पीढियों के मद्देनजर मानव हित में पर्यावरणीय संरक्षण एवं संतुलन बनाते हुए 2030 तक समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से रणनीतिक तौर पर प्राप्त किया जाये। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्थाएँ एवं स्वयं सहायता समूह अपने एकीकृत प्रयास से ग्रामीण भारत की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य समस्याओं का समाधान एवं प्रबंधन के बेहतर तरीके सहायक हो रहे है। ग्रामीण स्तर पर देखें तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है। क्योंकि स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाले लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं। भारत में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मानसिकता का होना, जो कि स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य लोगों की कमी है। योग्यता की कमी होने के कारण इन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण ठीक से नहीं मिल पाता. इसके अलावा क्षमता निर्माण और कौशल प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र का अभाव है।

पूर्ववर्ती साहित्य की समीक्षा–

1. नाबार्ड (2002)– मायराडा के द्वारा अपने अध्ययन में और स्वयं सहायता समूह वास्तव में अध्ययन 190 एएजी के सदस्यों पर किया गया। यह शोध चार दक्षिण भारतीय राज्यों पर किए गए जिनमें महिलाओं को स्वास्थ के प्रति चेतना, आत्मविश्वास में वृद्धि, समाजिक जीवन के प्रति सजगता व उच्च आर्थिक गतिविधियों में डूबा पाया गया।

2. ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन), (2004) ने 61 देशों के अध्ययन द्वारा स्पष्ट होता है कि विश्व में पुरुषों की तुलना में महिलाएं आय एवं असुरक्षा की अधिक शिकार होती है। एशिया में इनकी स्थिति और भी दयनीय है। साथ ही यह भी ज्ञात है कि विशेष रूप में भारतीय नियोक्ता रोजगार में अपेक्षित लाभ तथा पदोन्नति अवसर देते समय लैंगिक भेदभाव करते हैं। 3.

Josef, Jhon, Santiago (2007) के अनुसार स्वयं सहायता समूह के द्वारा से महिलाओं का विभिन्न कार्यों में सक्रिय विशेषकर लघुवित्तीय कार्यक्रम में एवं उसके समाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के प्रभाव को मालूम करने के लिए एस०एच०जी० में आने से पहले एस०एच०जी० के आने के बाद का विश्लेषण करने पर पाया कि गांव की महिलाओं के समूह में आने के बाद बचत में बढोतरी, आय में बढ़ोतरी, संपति का निर्माण, उपभोग में बढ़ोतरी या साथ ही साथ महिलाओं के सोच–विचार व व्यावहार में वाकई परिवर्तन देखने को मिला। महिलाओं का न केवल परिवारिक बल्कि समुदायिक सशक्तिकरण हुआ है।

शोध पद्धति– प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति वर्णात्मक और अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप पर आधारित होगा। वर्तमान अध्ययन द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है जिसमें सरकारी रिपोर्ट, शोध आलेख, जनगणना, पुस्तकों आदि क शामिल किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य– महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका पता लगाना।

तथ्यों का विश्लेषण– स्वयं सहायता समूह का इतिहास देखने पर यह पता चलता है कि मुख्य रूप से इसकी शुरुआत देश की प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएं जैसे सेल्फ एम्प्लाइड वीमेन एशोसिएशन, (सेवा) अहमदाबाद, मयराडा, बंगलौर आदि के माध्यम से हुई थी। मयराडा, बंगलौर के इतिहास को देखा जाये तो इस संस्था ने वर्ष 1968 से ही सामाजिक कार्य के प्रति अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। शुरुआत में मयराठा ने मुख्य रूप से चीन युद्ध के पश्चात् तिब्बत से आये तिब्बतियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य शुरू किया। दूसरे दौर में इस प्रकार वर्ष 2000 तक लाखों लोगों को सुविधाएँ देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का लक्ष्य बनाया। गाँव में कुल आबादी का 75 प्रतिशत से भो अधिक आबादी का प्रमुख आधार खेती है। ऐसे ग्रामीणों की अनेक समस्याएं हैं। पहली यह कि खेती के अतिरिक्त अन्य आय का साधन इनके पास नहीं होते है। दूसरा यह कि खेती में 5 से 6 माह तक काम मिलता है, इसलिए बचे समय में ग्रामीणों को आय के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी जमीन व गहनों को गिरवी रखनी पड़ती है. और परिस्थिति से मजबूर होकर इसे छुड़ा भी नहीं पाते हैं। इसी बीच यदि अन्य समस्याएं (बीमारी, मृत्यु पर्व शादी) आ जायें तो बंधक रखने की सीमाएं बढ़ जाती है। बैंक शाखाओं की वृहद नेटवर्क होते हुए भी ग्रामीणों की पहुँच यहाँ तक नहीं है। चूंकि निर्धनों की जरूरतें छोटे ऋणों से सम्बन्धित होती हो, साथ ही साथ उनकी आवश्यकताएँ उपयोग और उत्पादन दोनों उद्देश्यों से जुड़ी है, बैंक वाले इसे खतरा मानते हैं और उधार देने से हिचकते हैं। इस संकट से उभरने के लिए एक अकेला व्यक्ति तो सम्भवतः कुछ नहीं कर सकता है। परन्तु कुछ लोग मिलकर अपनी छोटी आय से थोड़ी–थोड़ी बचत करते–करते एक पूंजी जमा कर सकते है। इसी पूंजी से वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इसका उपयोग करके धीरे–धीरे जमीन छुडाते हैं स्पष्टतः इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। परन्तु स्वयसेवी संस्थाओं की मदद से कुछ हद तक अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001) बृहत आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों को तैयार करने तथा उनके क्रियांवयन में महिलाओं को शामिल कर उनके दृष्टिकोण को स्थान दिया जाएगा। उत्पादकर्ता तथा मजदूर के रूप में सामाजिक–आर्थिक विकास में उनकी भूमिका की औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रों में (घरेलू काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं) पहचान की जाएगी और रोजगार तथा उनकी कार्यदशाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ऐसे उपायों में शामिल होंगे जहां कहीं भी आवश्यक हो। काम की पारंपरिक अवधारणा की पुर्नव्याख्या और पुनर्परिभाषा, जैसे जनगणना रिकॉर्ड में महिलाओं के योगदान को उत्पादक तथा मजदूर के रूप में दिखाया जाना।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

स्व–सहायता समूह (एसएचजी) आदोलन समूह एकजुटता और माइक्रोइनेंस के सिद्धांतों पर आधारित है. भारत में किसी न किसी रूप में 50 वर्षों से अस्तित्व में है, 1972 से जिसकी जडे स्व–नियोजित महिला संघ (सेवा) के गठन से जुड़ी है। स्वयं सहायता समूह की परिवर्तनकारी क्षमता ने कोविड–19 की जमीनी प्रतिक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम उदाहरण के तौर पर, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास के आधार के रूप में कार्य किया है। भारत में लगभग 12 करोड एसएचजी है जिसमें 88 प्रतिशत संपूर्ण महिला एसएस है। इसमें सफलता की कहानियों में केरल में कुदुम्बश्री बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महिला मंडल (एमएवीआईएम) और हाल ही में लूम्स ऑफ लदाख शामिल हैं।

कोचिड महामारी के दौरान जहाँ लाखो करोडो लोगों के रोजगार चले गए। ऐसे समय में भारत में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बड़ा ही सराहनीय कार्य किया गया स्वरोजगार से जुड़े इन समूह से कोविड के दौरान बड़ी निभाई जा शहरों से लाखों की संख्या में पलायन हुआ, लोग बेरोजगार हुए.ैमसभ्मसच ळतवनच ने कोण से बने के लिए मास्क बनाना सेमेटिजेर वितरण व अन्य ऐसे कार्यों में भाग लिया जो कोविद के दौरान कारगर साबित हुए। विश्व के विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी भारत में स्वयं सहायता समूहों के कोरोना काल के योगदान की सराहना की है। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारे देशैमसभ्मसच ळतवनच ऐसे ही कार्य करते रहेंगे।

निष्कर्ष– भारतीय महिलाओं के संदर्भ में उपरोक्त तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है लेकिन भारतीय समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण सभी जगहों पर एक जैसा परिवर्तन नहीं हुआ है। भारतीय सामाजिक संरचना ऐसी है कि पुरुष और महिलाओं के प्रगति के मामले मैं मानसिकता मेल नहीं खाती है। इस संदर्भ में भारत में महिलाओं की के उत्थान के लिए सरकारी प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले ग्रामीण महिलाएं घर की चार दीवारी में चौका चूल्हा किया करती थी और उसके परिवार का भरण पोषाण भी मुश्किल था। वे साहुकार से कर्ज लेकर व्याज के बोक्षा में इस तरह दब जाती थी कि मूल राशि तक वे पहुँच ही नहीं पाती थी और पुरा जीवन आर्थिक संकट सहना पड़ता था। परन्तु स्वयं सहायता समूह से जुड़ने को बाद महिलाएं एकजूट होकर बचत करने लगी है। उनमें जागरूकर्ता आई है और वे अपने छोटी–छोटी बचतों से अपनी जरूरतों की पूर्ति कर लेती है और कर्ज से बच जाती है।

महिला बाल विकास और स्वास्थ विभाग भी महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए उन्हें समय–समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराते हैं और समूह को बैंक से जोड़ने का प्रयास करते है। जब समूह विकास के तीनों चरणों को पार कर लेता है और उसे ऋण मिलता है तो वे अचार, पापड, रेडी टू इट, सब्जी बेचना जैसे– छोटे–छोटे उद्योगों द्वारा ना सिर्फ आय का सृजन करते है बल्कि ये आत्मनिर्भर भी बन जाते है। जिससे न केवल घर की समाज की गांव की, बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। हम क्रियाशील समूहों पर कार्य करने के साथ–साथ, अक्रियाशील समूहों पर भी कार्य करेंगें और उन्हें उनकी उदासीनता का कारण जानकर जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह बतायेंगे की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है जबकि वे महिलाएं जो अभी भी घर की चार दीवारी को नहीं लाधी है उनकी आर्थिक स्थिति आज भी ज्यों कि त्यों बनी हुई है। परिणाम स्वरूप वे महिलाएं भी जागरूक बनेगी और नये स्वयं सहायता समूह का गठन होगा और लोगों में आर्थिक रूप से संपन्नता आयेगी। जिससे सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. NABARD and Micro-finance 2000–2001 and 2001–2002 micro credit innovation department NABARD Mumbai.
2. ILO Report-2004.
3. शर्मा, प्रेमनारायण एवं विनायक वाणी (2011) ''गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, भारत बुक सेन्टर पृष्ठ – 147.
4. कुरुक्षेत्र – जुलाई, 2019, पृष्ठ संख्या 38–42.
5. कुरुक्षेत्र 2013, पृष्ठ संख्या 28–31, 40–45 5.
6. यादव, सुबह सिंह (2004): ''ग्रामीण बैंकिग एवं विकास'' सबलाइम पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ 285–325.
7. शर्मा, योगेंद्र, ''महिलाओं के दशा और दिशा'' (2018) लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. नीरा देसाई और मैत्रेयी कृष्णराज (1987) ''वीमेन एंड सोसायटी इन इंडिया', अजंता पब्लिकेशन्स नई दिल्ली।
9. https://hi vikaspedia.in/

*****